प्रेस नोट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर दिनांक 14.06.2022

सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले युवक को चिलुआताल पुलिस द्वारा किया गिरफ्तार

आज दिनांक 14.06.2022 को आरक्षी विनोद राम बीट भ्रमण में करीमनगर में मामूर थे इसी बीच करीम चौराहे पर कुछ लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक पोस्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि बिट्टू खान पुत्र जैनुद्दीन खान निवासी करीम नगर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्ट्राग्राम पर एक भड़काऊ पोस्ट वायरल की है, बीपीओ द्वारा बिट्टू खान उपरोक्त की इंस्ट्राग्राम आईडी को इंस्ट्राग्राम एप को चेक किया तो पाया गया कि बिट्टू खान उपरोक्त ने अपनी आईडी की स्टोरी पर दो वर्गो समुदायों के बीच नफरत फैलाने व सौहार्द बिगाड़ने के लिए भड़काऊ पोस्ट वायरल की है वर्तमान में जनपद धारा 144 दंड प्रकिया संहिता लागू है। बीट आरक्षी की सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 206/22 धारा 188, 295-A भादवि व 66 आई0टी0 एक्ट पंजीकृत कर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर को उक्त के संबंध में अवगत कराते हुए प्रभारी निरीक्षक चिलुआताल विनोद अग्निहोत्री मय हमराह कर्मचारीगण का0 शैलेष कुमार, रि0का0 राहुल कुमार मय वाहन सरकारी UP 32 EG 3147 मय चालक हे0का0 जनार्दन यादव द्वारा अभियुक्त अब्दुल अहद खान उर्फ बिट्टू खान पुत्र जैनुद्दीन निवासी करीम नगर थाना चिलुआताल गोरखपुर को मुखबिर की सूचना पर करीम नगर चौराहे पर समय करीब 12.20 बजे हिरासत पुलिस में लेकर जेल भेजा गया।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

अब्दुल अहद खान उर्फ बिट्टू खान पुत्र जैनुद्दीन निवासी करीम नगर थाना चिलुआताल गोरखपुर

<u>गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थानः-</u>

करीम नगर चौराहा समय करीब 12.20 बजे

<u>आपराधिक इतिहास</u>

206/22 धारा 188, 295-A भादवि व 66 आई0टी0 एक्ट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

<u>गिरफ्तारी मे शामिल टीमः-</u>

1. श्री विनोद अग्निहोत्री प्रभारी निरीक्षक थाना चिलुआताल गोरखपुर।
2. का0 शैलष यादव, थाना चिलुआताल गोरखपुर
3. का0 राहुल यादव, थाना चिलुआताल गोरखपुर।